तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल.आर./6408/2005/जोधपुर** **शांतिदेवी बनाम खींयाराम** **निगरानी/एल.आर./6409/2005/जोधपुर** **आबूराम बनाम खींयाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड–पीठ
श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

दोनों में उपस्थितः–

(1) श्री माघवराजसिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री जी0एस0 लखावत, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय **दिनांकः 12.10.2023**

यह दोनों निगरानियां अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान संभागीय आयुक्त, जोधपुर दिनांक 31–10–2005 अपील सं0 33/2004 एवं अपील सं0 32/2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– चूंकि दोनों प्रकरणों में एक ही विवादग्रस्त आराजी, एक ही पक्षकारों के बीच विवादित है। एक समान विचारणीय बिन्दु एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोनों प्रकरणों का एक साथ निर्णय किये जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा दोनों निगरानियों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की पृथक–पृथक प्रतियां दोनों निगरानियों में संलग्न की जावें।

3– दोनों निगरानियों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सांगरिया तहसील जोधपुर के नामान्तरकरण सं0 65 दिनांक 01–07–1967 व नामान्तरकरण सं0 822 शून्य गैर कानूनी व शून्य वसीयत पर पारित होने के कारण निरस्त कराने हेतु विद्वान जिला कलक्टर, जोधपुर के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत हुई जो मियाद की शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विद्वान जिला कलक्टर, जोधपुर ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 06–10–2004 से विलम्ब क्षमादान नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध विद्वान सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष अपीलांट्स की ओर से अपीलें प्रस्तुत होने पर उन्होंने अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31–10–2005 से दोनों अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–10–2004 एवं स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 65 एवं 822 निरस्त कर राजस्व रेकार्ड की पूर्व की स्थिति (दिनांक 01–07–1967) को बहाल रखा गया जिस निर्णय से अप्रसन्न होकर एक निगरानी शांतिदेवी ने व दूसरी निगरानी आबूराम द्वारा प्रस्तुत की गई है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल.आर./6408/2005/जोधपुर** **शांतिदेवी बनाम खींयाराम** **निगरानी/एल.आर./6409/2005/जोधपुर** **आबूराम बनाम खींयाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– दोनों निगरानियों में योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। 5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान संभागीय आयुक्त, जोधपुर का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। जिला कलक्टर, जोधपुर ने विपक्षीगण की अपीलों को मियाद बाहर होने के आधार पर ही निरस्त किया था व उन्होंने मैरिट पर कोई निर्णय पारित नहीं किया था। विद्वान संभागीय आयुक्त विपक्षीगण की अपील को अन्दर मियाद मानते थे तो उन्हें जिला कलक्टर को अपील को मैरिट पर निर्णित करने हेतु रिमाण्ड करनी चाहिए थी किन्तु उन्होंने विपक्षीगण की अपीलों को मैरिट पर निर्णित करने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग भारी अनियमितता एवं अवैधानिकता पूर्वक किया है। पक्षकारान के बीच राजस्व मण्डल के समक्ष अपील डिक्री सं0 874/05 विचाराधीन है जिसमें दोनों पक्षकारान की बहस सुनकर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम किए जाने बाबत् स्थगन आदेश जारी है। पक्षकारान के बीच नियमित वाद से संबंधित द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं थी व जब तक दावे का निर्णय न हो जाय तब तक कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए था। नैनूराम की पत्नि फूलदेवी जो कि रणछोड़ी की सगी बहन है व किशना जी की पुत्री है, किशना के जीवनकाल में ही नैनूराम उनके यहां काश्तकारी करते थे व किशना जो कि आराजीयात के मूल खातेदार थे उन्होंने अपनी पुत्री को उक्त 55 बीघा भूमि दे दी थी व इसी कारण भंवरलाल ने उक्त भूमि की बख्शीश लिखकर नैनूराम के नाम दर्ज करा दी थी। विद्वान संभागीय आयुक्त ने नामान्तरकरण सं0 822 को भी गैर कानूनी तौर पर राजस्व न्यायालय में चल रहे केस व उसमें पारित स्थगन आदेश को ध्यान में न रखकर उसे निरस्त करने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग भारी अनियमितता एवं अवैधानिकता पूर्वक किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान संभागीय आयुक्त, जोधपुर का निर्णय दिनांक 31–10–2022 निरस्त फरमाया जावें व विद्वान जिला कलक्टर, जोधपुर का निर्णय दिनांक 06–10–2004 एवं नामान्तरकरण सं0 65 एवं 822 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया। 6– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई हक व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल.आर./6408/2005/जोधपुर** **शांतिदेवी बनाम खींयाराम** **निगरानी/एल.आर./6409/2005/जोधपुर** **आबूराम बनाम खींयाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकार तय नहीं किये है। दोनों निर्णय समवर्ती एवं सही है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावें।

7– हमने योग्य अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया।

8– विद्वान जिला कलक्टर, जोधपुर ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 06–10–2004 में अंकित किया कि अपीलान्ट्स ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति के 37 वर्ष बाद विलम्ब से पेश करने का स्पष्टीकरण, प्रार्थना पत्र बताये गये है उससे न्यायालय संतुष्ट नहीं है। अतः क्षमादान योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम निरस्त किया जाता है।

9– विद्वान संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31–10–2005 में अंकित किया कि दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–10–2004 एवं स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 65 एवं नामान्तरकरण सं0 822 निरस्त किये जाते हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व की स्थिति (दिनांक 01.07.1967) को बहाल किया जाता है।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तगत प्रकरणों से संबंधित मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील सं0 2005/874 बउनवान आबूराम बनाम खींयाराम को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12–10–2023 से खारिज किया चुका है तो उक्त हस्तगत दोनों निगरानियां अपील के निर्णयानुसार निर्णित की जाती है।

11– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण की दोनों निगरानियां स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। हस्ताक्षरित निर्णय की प्रति दोनों निगरानियों में संलग्न की जावें।

12– पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(आर0डी0 मीणा)**

सदस्य **सदस्य**